

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2**  
**संख्या-क0नि0-2-1751/ग्यारह-9(150)/15-30प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(172)-2016**  
**लखनऊ: दिनांक: 29 दिसंबर, 2016**

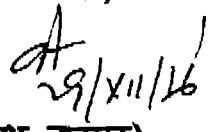
**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में, दिनांक 30 दिसंबर, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

**संशोधन**

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 19 पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

| क्रम संख्या | वस्तु का नाम एवं विवरण     |
|-------------|----------------------------|
| 1           | 2                          |
| 19          | मोटर/ बैटरी चालित ई-रिक्शा |

आज्ञा से,  
  
(बीरेश कुमार)  
अपर मुख्य सचिव।